जनगणना में अवैतनिक

कामकाजी महिलाओं का समावेश

डॉ. नरेश पुरोहित

भारत की जनगणना में सबसे मुश्किल मसला काम की अवधारणा का सूत्रीकरण और उसको लागू करना रहा है। यूं तो उद्यम को 'आर्थिक रूप से फायदेमन्द गतिविधि' के रूप में परिभाषित किया गया है। परन्तु भारत में अवैतनिक उपक्रमों को भी पारिवारिक कार्यों की सूची में शामिल किया गया है। बच्चों को पढ़ाना, अपने परिवारजनों के कपड़े इस्त्री करना, पानी भरना/लाना, ईंधन, चारा व कोयला इकट्ठा करना, पशुपालन और जीवनयापन से जुड़ी बहुत-सी गतिविधियां जनगणना में उद्योग की परिभाषा में शामिल नहीं हैं। इसका प्रभाव विशेषकर लड़कियों और महिलाओं पर पड़ता है क्योंकि श्रम के परम्परागत विभाजन में ऐसे कामकाज अधिकांशतः इन्हीं के जिम्मे आते हैं। इससे महिलाएं और लड़कियां आंकड़ों से ओझल तो हो ही जाती हैं, साथ ही उनको 'गैर श्रमिकों' का भी दर्जा दे दिया जाता है। जबकि वास्तव में इन्हें बिना किसी आराम या छुट्टी के लम्बे समय तक काम करना पड़ता है। 1991 की जनगणना में पंजाब की लगभग 90% लड़कियां व औरतें 'गैरश्रमिकों' की श्रेणी में दर्ज हैं। बाकी राज्यों के आंकड़े भी कुछ अलग नहीं हैं।

दरअसल 'गैरश्रमिकों' में गृहणियों की श्रेणी काफी अस्पष्ट है और देश के अलग-अलग भागों में अलग-अलग मतलब रखती है। विडम्बना तो यह है कि घर का काम ही काफी सारी महिलाओं को औपचारिक श्रम-बाज़ार से दूर रखता है। बीजिंग में प्रस्तुत भारत सरकार की रिपोर्ट स्वीकार करती है कि हिमालयाई क्षेत्र में एक अनुमान के अनुसार एक महिला एक साल में एक एकड़ फार्म में 3,485 घण्टे काम करती है। जबकि एक पुरुष 1,212 घण्टे और एक बैलों का जोड़ा 1,064 घण्टे ही काम करते हैं।

परिभाषा की इन सीमाओं के अलावा गणनाकारों और सर्वेक्षणकर्ताओं का काम को लेकर बना पूर्वाग्रह इस तस्वीर को और भी जटिल बना देता है। उस पर समाज में औरतों की परिस्थिति कुछ इस तरह की है कि वे अपनी ही क्षमताओं को कम आंकती हैं। इस सब के मद्देनज़र उत्तर भारत के राज्यों में लड़कियों और महिलाओं द्वारा किए गए कामों का अल्पानुमान लगाया जाना या उन्हें दर्ज ही न करना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है।

काम सम्बंधी विभिन्न आंकड़ों में हो रहे इन खिलवाड़ों से न केवल विचारक वरन महिलाओं के मुद्दों से जुड़ी हुई विभिन्न संस्थाएं और जनगणना अधिकारी भी चिन्तित हैं। इन मायनों में 2001 की जनगणना भी कोई अपवाद नहीं रहा। इस बार जनगणना शुरू होने से पहले ही अनेक विभागों, नारी शिक्षा केन्द्रों और शोधकर्ताओं ने जनगणना प्रश्नावलियों को तैयार करने और सर्वेक्षण हेतु उसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी की है। 1981 की जनगणना में पहली बार महिलाओं के उद्यम को जांचने पर ज़ोर दिया गया था ताकि उनकी आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके, भले ही वह सीमित हो।

1981 जनगणना की निर्देश-पुस्तिका में उद्योग पर मुख्य प्रश्न के साथ एक अतिरिक्त वाक्यांश था - 'काम' में फार्म और परिवार पर बिना वेतन के किया जाने वाला काम भी शामिल है। 1991 की जनगणना में इस वाक्यांश को मुख्य प्रश्नावली का हिस्सा बना दिया गया, ताकि ऐन काम के संदर्भ में जानकारी लेते वक्त सर्वेक्षणकर्ता अवैतनिक कामों की जानकारी हासिल कर सकें। इस बार यूनिफेम ने पोस्टरों, कविता-छंदों और टेलीविज़न पर महिलाओं और लड़कियों द्वारा किए जा रहे ऐसे कामों को दर्शाता हुआ एक अभियान भी चलाया जिन्हें काम के दायरे में रखा जाना चाहिए। परन्तु काम की मौजूदा परिभाषा 'आर्थिक रूप से

फायदेमन्द' को विस्तार देने के सभी तर्कों के बावजूद इस परिभाषा को 2001 की जनगणना में बनाए रखा गया। कहा गया था कि इसमें उन तमाम गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए जिसको करने के लिए बाहरी आदमी को वेतन देना पड़े। हालांकि 1991 की जनगणना की तुलना में 2001 में गतिविधियों की सूची लम्बी हुई है। इस परिभाषा में 'अंशकालिक मदद' और कई ऐसी आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया गया है जो पहले परिवार और फार्म में 'अवैतनिक कार्यों' की श्रेणी में शामिल नहीं थीं। इसके अलावा 2001 की निर्देश पुस्तिका में जेंडर संवेदी भाषा का प्रयोग किया गया है और विशेष ध्यान इस बात पर दिया गया है कि महिलाओं और बच्चों द्वारा किए काम जनगणना में जगह पाएं। स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि सीधे 'गैरश्रमिकों' की श्रेणी में डालने से पहले इस बाबत पूरी जांच पड़ताल हो।

इसके अलावा कामों की विस्तृत सूची और चित्र भी निर्देश पुस्तिका में दर्शाए गए हैं जिन्हें लड़कियां व महिलाएं परिवार में बिना वेतन के करती हैं। 2001 की जनगणना में एक और बेहतर बदलाव लिंग सम्बंधी जानकारी लेने के लिए शब्दों का चुनाव है। इसमें बच्चों के लिए 'स्त्री','पुरुष' की जगह 'पुत्री' और 'पुत्र' शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। शब्दों में बदलाव के अलावा इनका क्रम भी बदला गया है। इससे उम्मीद बनती है कि लड़कियों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

इन गुणात्मक परिवर्तनों के अलावा जनगणना सर्वेक्षणकर्ताओं को अनिवार्य प्रशिक्षण भी दी गई। हम उम्मीद करते हैं कि यह ज़्यादा जेंडर संवेदी होगी। अब जनगणना के आंकड़े आना शुरू होंगे और धीरे-धीरे ही पता चलेगा कि ये बदलाव किसी हद तक लड़कियों और महिलाओं की बेहतर गणना में मददगार सिद्ध हुए या नहीं। लेकिन एक बात तो साफ है, जनगणना सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है। तिस पर सर्वेक्षणकर्ताओं को मौखिक रूप से उत्तर रिकॉर्ड करने को कहा गया था। जब तक ये लोग पुरुष प्रधान मनोवृत्ति में फंसे हैं और औरतों व उनके काम को तय मानकर चलते हैं; तथा महिलाएं स्वयं अपनी क्षमताओं को कम कर आंकती रहेंगी तब तक बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। हमें तस्वीर के इस पहलू पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। *(स्रोत विशेष फीचर्स)*

वर्ष 1999 व 2000 के **स्रोत** सजिल्द

150 रुपए में उपलब्ध हैं।

डाक से मंगवाने पर 25 रुपए अतिरिक्त।

सम्पर्क : एकलव्य, ई-7/एच.आई.जी. 453
अरेरा कॉलोनी, भोपाल 462 016 (म.प्र.)